भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
SEEPZ Special Economic Zone Authority
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

No.E-OPT-12/21/2022-EO/00200 03/01/2025

Circular No. 02 Dated 03 /01/2025

विषय: एसईजेड नियम 2006 के नियम 74ए के अंतर्गत परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों से संबंधित शुल्क लगाने का प्रस्ताव।

Sub: Proposal for levy of charges related to applications received for transfer of assets and liabilities under Rule 74A of SEZ Rules 2006.

कृपया ध्यान दें कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 74ए के अंतर्गत परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के हस्तांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों से संबंधित शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिनांक 07.10.2024 को आयोजित प्राधिकरण की 70वीं बैठक में रखा गया था।

Attention is invited the proposal for levy of charges related to applications received for transfer of assets and liabilities under Rule 74A of SEZ Rules 2006 was placed in 70th Authority Meeting held on 07.10.2024.

प्राधिकरण (डेवलपर) ने निर्णय लिया कि, एसईजेड नियम 2006 के नियम 18 2(ii) के अनुसार, नियम 74ए के तहत अनुमोदन प्राप्त करने वाले किसी भी आवेदक को प्राधिकरण से एनओसी प्रदान करना होगा। साथ ही वित्तीय संस्थानों, एनसीएलटी, डीआरटी आदि से बिक्री प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाली इकाइयों को भी प्राधिकरण (डेवलपर) से एनओसी प्राप्त करना होगा।

Authority decided that, in terms of Rule 18 2(ii) of the SEZ Rules 2006, any applicant obtaining approval under Rule 74A need to provide NOC from Authority (Developer). Also units obtaining Sale Certificate from Financial Institutions, NCLT, DRT, etc. also need to obtain NOC from Authority(Developer).

इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रस्तावों पर लेनदेन लागत/परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के प्रशासनिक शुल्क के रूप में न्यूनतम 3 % का शुल्क लगाया जाएगा।

It was further decided that, such proposals to be levied minimum 3% towards administrative charges of the transaction cost/ valuation of assets.

इसे SEEPZ-SEZ प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This issues with approval of Chairperson of SEEPZ-SEZ Authority.

03/01/2025

(जय मनोज शाह)
उप विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण

Copy to:
1. सभी यूनिटधारक, SEEPZ-SEZ
2. कार्यालय आदेश फ़ाइल
3. कार्यालय आदेश रजिस्टर
4. डीसीओ और जेडीसीओ, डीडीसीओ, सीप्ज़-एसईज़ेड
5. IA-I अनुभाग, SEEPZ-SEZ

-

-